राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः पं. 1 (134) वन/2020 जयपुर, दिनांकः—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan.

संदर्भः—आपका पत्रांक एफ 14 (415/37)2020/एफसीए/प्रगुवस/2445 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 में OFC Cable Line हेतु 0.3648 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल ... वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन ... अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बावत जारी दिशा—निर्देशों एवं ... दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

of the Bank within ...
Registered office : INDUSIND BANK LTD, ...
Corporate Identity Number (CIN): L65191PN1994PLC076333

Scanned with OKEN Scanner

11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करे।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, उदयपुर।
6. *Dinesh Engineers ltd, DEPL House, Neighnourhood shopping complex, Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai, 400706.*
7. रक्षित पत्रावली।

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी

Registered office : INDUSIND BANK ...
Corporate Identity Number (CIN): L65191PN1994PLC0...

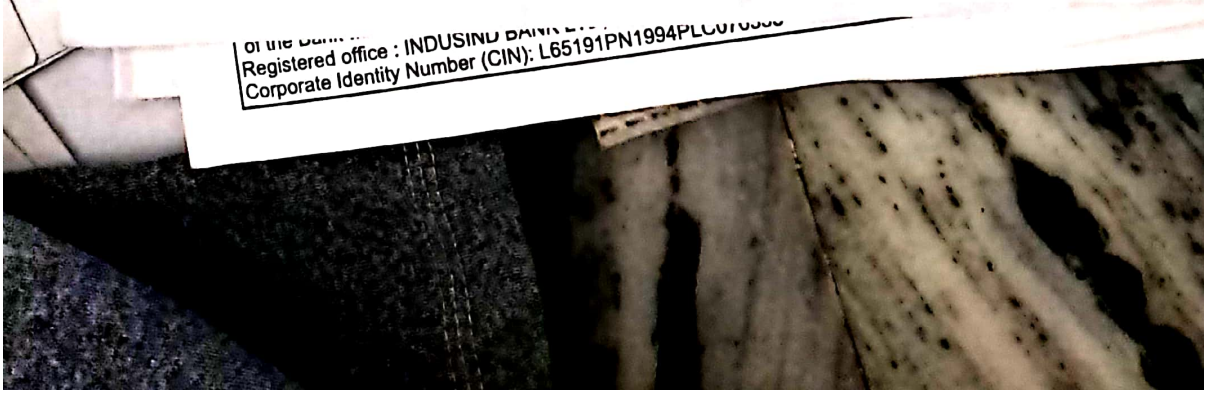

औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, गोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ( )वसु / मुवसं / 2020–21 / दिनाक :–

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda - Kirat road) District Udaipur (Raj.) *Proposal No. FP/RJ/OFC/43686/2020*

संदर्भः– आपका पत्रांक 878 दिनांक 10.03.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के कम मे निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार, के पत्रांक (34) वन/2020 दिनांक 8 मार्च, 2021 से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति के कम में बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक एफ()/तकनिकी/उवस/2020–21/5022 दिनांक 28.07.2021 से प्राप्त कर इस कार्यालय की सहमति के साथ पालना निम्नानुसार तैयार की जाकर मूल ही दो प्रतियो में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	शर्त	पालनारिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा।	इस संबध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एव उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस संबंध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	इस संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस संबध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस संबंध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(संलग्न
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार	जिला कलक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।(संलग्न)

Scanned with OKEN Scanner

घर घर
औषधि योजना

	किया जावेगा।	
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जासकेगा।	इस संबध मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।(सलग्न)
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनाक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	आलोच्य प्रकरण मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी मे प्रकाशित समाचार पत्र प्रकाशित करवा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
12	भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी–11/165/ 2019–एफसी दिनाक 27.07.2020 मे दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करें।	यूजर एजेंसी द्वारा दिशा – निर्देशो की पालना की जावेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (2 प्रति मे)

भवदीय,
(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कमांक पत्रा ( )वसु/मुवसं/2020–21/ 4538-39 दिनांक :– 5/8/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1– उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 5022 दिनांक 28.7.2021 के कम में।
2– Dinesh Engineers Ltd - Meera Devi Bhagwan Sahay, Khohra, Moh.Nanglin Circle Alwar, Rajsthan.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन–313001
E-mail :-dcf.udpr.forest @gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

कमांकः–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स./2020–21/2028 दिनांकः–23/3/21
निमित्

Dinesh Engineers Ltd. DEPL House,
Neighnourhood Shopping Complex
Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai-400706

विषयः– Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भः–अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ.14 (369/35) 2019 / एफसीए /प्रमुवसं / 879–80 दिनांक 10.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र जो कि इस कार्यालय को प्रेषित कर प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है के कम में लेख है कि राज्य सरकार के पत्रांक प. (134) वन/2020 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ.14 (369/35)2019/एफसीए/प्रमुवसं/879–80 दिनांक 10.03.2021 से आलौच्य प्रकरण में राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रप्रत्र में तैयार कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावे, ताकि उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

यह उल्लेखनीय है कि **आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं करना सूनिश्चित करावें।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिहरण के निर्णय दिनांक 7.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय को भिजवावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

कमांकः–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स.उ./20–21/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः–अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर, को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन–313001

E-mail :-dcf.udar.forest @gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक.–एफ( )/तकनीकी/उ.व.स./2020–21/2028 दिनांक:– 23/3/21

निमित्त

Dinesh Engineers Ltd. DEPL House,
Neighnourhood Shopping Complex
Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai-400706

विषय – Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROw from KMS-0.0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भः–अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ.14 (369/35) 2019 / एफसीए /प्रमुवसं / 879–80 दिनांक 10.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र जो कि इस कार्यालय को प्रेषित कर प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के पत्रांक प. (134) वन/2020 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ.14 (369/35)2019/एफसीए/प्रमुवसं/879–80 दिनांक 10.03.2021 से आलौच्य प्रकरण में राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावे, ताकि उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

यह उल्लेखनीय है कि आलौच्य प्रकरन में जब तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक **किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं करना सुनिश्चित करावें।**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय को भिजवावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांकः–एफ( )/तकनीकी/उ.व.स.उ./20–21/ दिनांकः–

प्रतिलिपि–अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर, को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

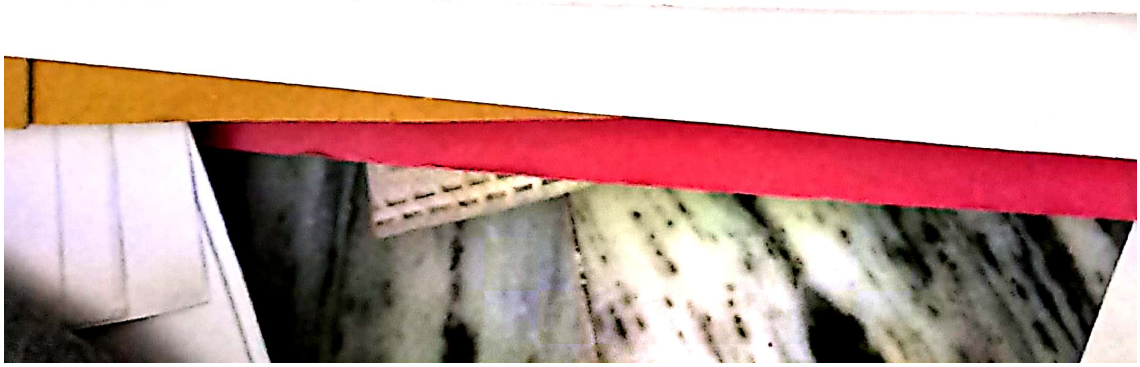

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (134) वन / 2020 जयपुर, दिनांक:–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:–Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan.

संदर्भ:–आपका पत्रांक एफ 14 (415/37)2020 / एफसीए / प्रगुवस / 2445 दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में नोडल OFC Cable Line हेतु 0.3648 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल [illegible] वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन [illegible] अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों एवं [illegible] दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For laying of underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285=58.285 Km (Gogunda-Kirat Road) District-Udaipur,Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

कार्यालय पता– वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–[illegible]
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी–11/165/2019–एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, उदयपुर।
6. *Dinesh Engineers ltd. DEPL House, Neighnourhood shopping complex, Sector-4, Nerul-W, Nevi Mumbai, 400706.*
7. रक्षित पत्रावली।

(शुभम जैन)
विशेषाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner